**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. *469**
**उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026**

## दूरसंचार कंपनियों को छूट

***469. श्री माथेश्वरन वी. एस.:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने भी मंत्रालय से अनुरोध किया है कि उसे वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी को दी गई राहत के अनुरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी देय राशि में छूट दी जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों को एजीआर संबंधी देय राशि में छूट दिए जाने के क्या कारण हैं क्योंकि इससे सरकारी राजकोष को नुकसान होता है?

**उत्तर**
**संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री**
**(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)**

(क) और (ख) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

**"दूरसंचार कंपनियों को छूट" के बारे में दिनांक 25 मार्च 2026 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 469 के उत्तर के भाग (क) और (ख) के संदर्भ में विवरण**

(क) और (ख): जी हां, भारती एयरटेल लिमिटेड से उसके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये के संबंध में राहत के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को दी गई राहत का उदाहरण दिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2015 की सिविल अपील संख्या 6328-6399 में 2020 के एम.ए. (डी) संख्या 9887 में दिनांक 1.9.2020 को दिए अपने निर्णय के तहत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजीआर बकाया के बारे में निर्णय किया। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने वीआईएल द्वारा दायर वर्ष 2025 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 882 में दिनांक 27.10.2025 के अपने आदेश के माध्यम से वीआईएल के एजीआर बकाया पर पुनर्विचार की अनुमति दी और स्पष्ट किया कि उक्त आदेश केवल वीआईएल के संबंध में पारित किया गया है। वीआईएल के एजीआर बकाया राशि का पुनर्गठन उक्त आदेश के अनुपालन में किया गया है।

****